[2019] 4 एससीआर 218

रफीक अहमदभाई पालीवाला
बनाम
गुजरात राज्य और अन्य।

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 506) 15 मार्च, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्तिगण।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – प्रतिवादी संख्या 2 से 17 द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका – उच्च न्यायालय ने इसे अनुमति देते हुए, एफआईआर को रद्द कर दिया, जहां तक कि यह आईपीसी की धारा 392, 395 और 397 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है, जबकि इसे बरकरार रखा गया है, जबकि यह अन्य बातों के साथ–साथ धारा 143, 147, 148 और 323 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है। आईपीसी – माना: उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने में गलती की और इसे आंशिक रूप से अनुमति देने में और गलती की – जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर कोई उचित जांच नहीं की जा सकी और इससे पहले कि इसे तार्किक निष्कर्ष पर लाया जा सके, आक्षेपित आदेश ने हस्तक्षेप किया जिसके परिणामस्वरूप संज्ञेय अपराधों के संबंध में एफआईआर को रद्द कर दिया गया। शेष मामलों की तुलना में गंभीर प्रकृति के जो मुकदमे के लिए बच गए – आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया – आईओ को दर्ज मूल एफआईआर में लगाए गए आरोपों की उचित जांच करने और जांच के समापन के बाद किसी भी अन्य अपराध के संबंध में अतिरिक्त आरोप पत्र दायर करने के लिए, यदि पाया जाता है, तो गंभीर प्रकृति का है। अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा: 1.1 उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 से 17 द्वारा दायर याचिका पर विचार करने में गलती की और इसे आंशिक रूप से अनुमति देने में और गलती की। जांच अधिकारी (10) द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर कोई उचित जांच नहीं की जा सकी और इससे पहले कि इसे तार्किक निष्कर्ष पर लाया जा सके, आक्षेपित आदेश ने हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप संज्ञेय अपराधों के संबंध में एफआईआर को रद्द कर दिया गया, जो शेष अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर प्रकृति के थे। [पैरा 9, 10] [221–ए, बी] 218 रफीक अहमदभाई पालीवाला बनाम गुजरात राज्य.

1.2 उच्च न्यायालय को ऐसे प्रारंभिक चरण में एफआईआर को रद्द करने के बजाय आईओ को एफआईआर के आधार पर उचित जांच करने और फिर तदनुसार जांच में एकत्र की गई सामग्री के आधार पर उचित आरोप पत्र दायर करने का निर्देश देना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि एफआईआर ने संबंधित अपराधों के प्रथम दृष्टया आरोपों का खुलासा किया था। इसलिए उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब उसने आईओ को अपने आरोपों की उचित जांच करने की अनुमति दिए बिना अधिक गंभीर अपराधों (धारा 392, 395 और 397 आईपीसी) के संबंध में आंशिक रूप से एफआईआर को रद्द कर दिया। [पैरा 11, 12] [221–सी, डी]

1.3 आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मामूली अपराधों के संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया है, जो एफआईआर को रद्द

करने के बाद बच गए। जैसा भी हो, 1ओ अब दर्ज मूल एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पूर्ण और उचित जांच करेगा और जांच के समापन के बाद किसी भी अन्य अपराध के संबंध में अतिरिक्त आरोप पत्र दायर करेगा। [पैरा 13, 14] [221–ई, एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 2019 का 506। 2017 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 29936 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 11.12.2017 के निर्णय और आदेश से।

प्रद्युम्न गोहिल, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, हिमांशु चौबे, सुश्री तन्वी भटनागर, अपीलकर्ता के वकील।

जेसल वाही, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री विशाखा, सीबी गुरुराज, केपी सिंह, प्रकाश रंजन नायक, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गयी।

2. यह अपील अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2017 को आपराधिक विविध आवेदन (एफआईआर को रद्द करने और रद्द करने के लिए) संख्या 2017 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2–17 द्वारा दायर उक्त आवेदन को अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 4 एस.सी.आर।

3. इस अपील में एक छोटा बिंदु शामिल है जैसा कि बताए गए तथ्यों से स्पष्ट होगा।

4. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (इसके बाद "कोड" के रूप में संदर्भित) के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 से 17 द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी और गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में दर्ज 2017 की आई–सीआर संख्या 67 होने वाली एफआईआर को रद्द कर दिया। अहमदाबाद आंशिक रूप से भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 392, 395 और 397 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है और इसे बरकरार रखा गया है क्योंकि यह आईपीसी की धारा 143, 147, 148 और 323 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है।

5. शिकायतकर्ता ने आक्षेपित आदेश से व्यथित महसूस किया है और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

6. इसलिए, इस अपील में विचार के लिए उठने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने याचिका को अनुमति देने और एफआईआर को रद्द करने का औचित्य था क्योंकि यह धारा 392, 395 और 397 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित है।

7. आदेश में कहा गया है, "पक्षकारों की ओर से पेश हुए वकील को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि भले ही अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को सच माना जाए या स्वीकार किया जाए, लेकिन धारा 392, 395 या 397 के अपराध का गठन करने के लिए कोई भी तत्व नहीं बताया गया है। किसी भी तरह से, यह नहीं कहा जा सकता है कि गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य डकैती करना था।

ऐसी परिस्थितियों में, जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 395 और 397 का संबंध है, मुझे प्राथमिकी को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है। जहां तक अन्य अपराधों का संबंध है, जांच कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी। उपरोक्त के साथ, इस आवेदन का निपटान किया जाता है। सीधी सेवा की अनुमति है।

8. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हम अपील की अनुमति देने और आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए विवश हैं। रफीक अहमदभाई पालीवाला बनाम गुजरात राज्य [अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति।

9. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 से 17 द्वारा दायर याचिका पर विचार करने में गलती की और इसे आंशिक रूप से अनुमति देने में और गलती की।

10. यह विवाद में नहीं है कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा कोई उचित जांच नहीं की जा सकी और इससे पहले कि इसे तार्किक निष्कर्ष पर लाया जा सके, आक्षेपित आदेश ने हस्तक्षेप किया जिसके परिणामस्वरूप संज्ञेय अपराधों के संबंध में एफआईआर को रद्द कर दिया गया, जो शेष की तुलना में अधिक गंभीर प्रकृति के थे।

11. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को इस तरह के प्रारंभिक चरण में एफआईआर को रद्द करने के बजाय आईओ को एफआईआर के आधार पर उचित जांच करने और फिर तदनुसार जांच में एकत्र की गई सामग्री के आधार पर उचित आरोप पत्र दायर करने का निर्देश देना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमने पाया कि एफआईआर ने संबंधित अपराधों के प्रथम दृष्टया आरोपों का खुलासा किया था।

12. इसलिए, हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते जब उसने आईओ को अपने आरोपों की उचित जांच करने की अनुमति दिए बिना अधिक गंभीर अपराधों (धारा 392, 395 और 397 आईपीसी) के संबंध में आंशिक रूप से एफआईआर को रद्द कर दिया।

13. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है।

14. हालांकि, हमें सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मामूली अपराधों के संबंध में आरोप पत्र दायर किया गया है, जो एफआईआर को रद्द करने के बाद बच गए। जैसा भी हो, आईओ अब दर्ज मूल एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पूरी और उचित जांच करेगा और जांच के समापन के बाद किसी भी अन्य अपराध के संबंध में अतिरिक्त आरोप पत्र दायर करेगा।

15. कहने की जरूरत नहीं है, आईओ किसी भी टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार सख्ती से जांच करेगा। इसे बाहरी सीमा के रूप में 3 महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

अपील स्वीकृत।

अपर्णा पाण्डे

अपर जिला जज

सहारनपुर।